रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102021-230795 CG-DL-E-28102021-230795

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4134] No. 4134] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 28, 2021/कार्तिक 6, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2021/KARTIKA 6, 1943

## भारी उद्योग मंत्रालय

# आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4493(अ).—भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात् एतद्वारा केंद्र सरकार का विचार है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक होने के कारण ऑटोमोबिल व्हील रिम संघटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में आगे संशोधन हेतु निम्नांकित आदेश करती है, नामतः:-

- 1. **लघुशीर्ष और प्रारंभन.** (1). इस आदेश को ऑटोमोटिव व्हील रिम संघटक (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2021 कहा जाएगा।
  - (2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख़ से प्रभावी होगा।
- 2. (I) ऑटोमोबिल व्हील रिम संघटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में पैराग्राफ 1 में, (3) के उप-पैराग्राफ (ii) के लिए निम्नांकित उप-पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-
  - "(ii) बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के उपबंधों के अंतर्गत वाहन विनिर्माता द्वारा भारत में आयातित वाहन में प्रयुक्त ऑटोमोबिल व्हील रिम पर अनुप्रयुक्त नहीं होगी।"

6239 GI/2021 (1)

(II) ऑटोमोबिल व्हील रिम संघटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021, दिनांक 28 मई, 2021 में, पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नांकित उप-पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(2) यह 21.09.2022 से प्रभावी होगा।"

[फा. सं. 12(67)/2019-AEI (20457)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

नोटः प्रधान आदेश भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 3227(अ), दिनांक 21 सितंबर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित हुआ था और इसमें पिछला संशोधन दिनांक 28 मई, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2132(अ) के माध्यम से किया गया था।

# MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

### **ORDER**

New Delhi, the 22nd October, 2021

- **S.O.** 4493(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16, read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Order, 2020, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Second Amendment Order, 2021.
  - (2). It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. (I) In the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Order, 2020, in paragraph 1, for sub-paragraph (ii) of (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
  - "(ii) Provided further that nothing in this Order shall apply to Automobile Wheel Rims used in the vehicle imported in India by vehicle manufacturer under the provisions of rule 126 of Central Motor Vehicle rules, 1989".
  - (II) In the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Amendment Order, 2021 dated: 28<sup>th</sup> May, 2021, in paragraph 2, for sub-paragraph (2), the following sub- paragraph shall be substituted, namely:-
    - "(2) It shall come into force with effect from 21.09.2022."

[F. No. 12(67)/2019-AEI (20457)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) *vide* number S.O. 3227(E), dated the 21<sup>st</sup> September, 2020 and lastly amended *vide* notification number S.O. 2132(E), dated: 28<sup>th</sup> May, 2021.